कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-21.09.2024

विषयः- दुष्कर्म व आई0टी0 एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त मोहम्मद वसीम थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0618/2024 धारा 376,504,506 भा0द0वि0 व 66-E आई0टी0 एक्ट थाना चौबेपुर से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त मोहम्मद वसीम पुत्र मोहम्मद समद निवासी-ग्राम झुरिया थाना बेलहर कला जिला संत कबीर नगर को आज दिनांक-21.09.2024 को समय करीब 10.45 बजे ग्राम बनकट थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-20.09.2024 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि 02 वर्ष पूर्व प्रार्थिनी/पीड़िता के मोबाईल पर एक रॉन्ग नम्बर से कॉल आया जब वह बात की तो सामने वाले ने प्रार्थिनी/पीड़िता का नाम-पता पूछा और जब प्रार्थिनी/पीड़िता ने उसका नाम पूछा तो उसने नाम नहीं बताया और कहा की मैं यादव जाति का हूँ जिसके बाद प्रार्थिनी/पीड़िता का प्रतिवादी से बात-चीत के जरिये उससे मिलना-जुलना होता रहा और प्रतिवादी प्रार्थिनी/पीड़िता के साथ शादी की झांसा देकर 02 वर्षों से उसका यौन शोषण करता रहा तथा प्रार्थिनी/पीड़िता के ऊपर दबाव बनाने लगा कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तब विपक्षी अपनी जाति बताया की वह मुस्लिम धर्म का है और उसका सही नाम मोहम्मद वसीम है। प्रार्थिनी/पीड़िता को जब यह जानकारी हुई तब प्रार्थिनी/पीड़िता ने धर्म परिवर्तन के नाते उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद प्रार्थिनी/पीड़िता के परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दिये और प्रार्थिनी/पीड़िता बड़ी खुशी-राजी से अपना जीवन यापन कर रही थी। परंतु विपक्षी मोहम्मद वसीम प्रार्थिनी/पीड़िता के साथ दबाव बनाने लगा की पूर्व में जो उसकी फोटो व विडियो मोबाईल के जरिये लिया है अगर प्रार्थिनी/पीड़िता विपक्षी के यहाँ नहीं गयी तो उसका विडियो व फोटो वायरल कर देगा तब प्रार्थिनी/पीड़िता ने विपक्षी को जवाब दिया कि उसके यहाँ नहीं आना है। जिसके बाद विपक्षी मोहम्मद वसीम ने प्रार्थिनी/पीड़िता के पति के मोबाईल पर विडियो व फोटो वायरल कर दिया और प्रार्थिनी/पीड़िता व उसके परिवार को धमकी देने लगा की तुमको व तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर देंगे तब प्रार्थिनी/पीड़िता के पति ने प्रार्थिनी/पीड़िता के परिवार को बुलाकर पंचायत के माध्यम से प्रार्थिनी/पीड़िता का विवाह विच्छेद करा दिया, जिसके

सम्बन्ध में थाना चौबेपुर में मु0अ0सं0-618/2024 धारा 376/504/506 भा0द0वि0 व 66-E आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्र0नि0 जगदीश कुशवाहा द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मोहम्मद वसीम पुत्र मोहम्मद समद निवासी-ग्राम झुरिया थाना बेलहर कला जिला संत कबीर नगर, उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- ग्राम बनकट थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी से, दिनांक-21.09.2024 को समय करीब 10.45 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0618/2024 धारा 376/504/506 भा0द0वि0 व 66-E आई0टी0 एक्ट थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 जगदीश कुशवाहा थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. हे0का0 रूप सिंह थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 राम सिंह थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 गुलशन कुमार थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।